भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2765

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत विकास

2765. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

(ख) इन पहलों का उक्त क्षेत्र में जल विद्युत विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करने का उद्देश्य है; और

(ग) इसके लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित देश में जलविद्युत के विकास के लिए कई नीतिगत पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. दिनांक 08.03.2019 को जलविद्युत को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी गई, जैसे (i) बड़ी जलविद्युत (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना (ii) गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में हाइड्रो क्रय दायित्व (एचपीओ) (iii) हाइड्रो पावर टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय (iv) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता (v) सक्षम अवसंरचना, यानी सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता। बजटीय सहायता को बढ़ाकर इसमें: (i) राज्य/केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशन का उन्नयन सहित पावर हाउस से निकटतम पूलिंग पॉइंट तक पारेषण लाइन (ii) रोपवे (iii) रेलवे साइडिंग, और (iv) संचार अवसंरचना के निर्माण पर होने वाली लागत को शामिल किया गया है।

2. जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्कीम, जिसे कुल परियोजना इक्विटी के 24% पर अधिकतम 750 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के अध्यधीन रखा गया है जिसमें मामला-दर-मामला आधार पर 750 करोड़ रुपये की सीमा पर पुनर्विचार करने का प्रावधान है।

3. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2021 और दिनांक 11.05.2023 के आदेशों के माध्यम से हाइड्रो सीपीएसयू द्वारा कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश में 44.7 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 58 जल विद्युत परियोजनाओं को इंगित किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार और सीपीएसयू के बीच कुल 12.7 गीगावाट की 13 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

4. नई जल विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) से विद्युत के संचरण पर आईएसटीएस प्रभार में छूट।

5. सरकार के लगातार प्रयासों और नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान लंबे समय से अटकी हुई कई जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया गया है। इनमें सिक्किम में तीस्ता VI (500 मेगावाट) और रंगित IV (120 मेगावाट) और अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी (2000 मेगावाट) और दिबांग परियोजना (2880 मेगावाट) शामिल हैं।

(ख) : इन उपायों को पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए लाभकारी माना जाता है, जो सुदूर और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं और जिन्हें परियोजना स्थल तक भारी, बड़े आकार के उपकरणों और मशीनरी के परिवहन के लिए सड़कों, पुलों जैसी व्यापक संबद्ध अवसंरचना के विकास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा स्थानीय कानून एवं व्यवस्था में देरी के मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ग) : पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत के विकास के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

1. सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों की लागत के लिए 164.70 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।
2. दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए किए गए व्यय के लिए 109 करोड़ रूपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

****